न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 138 / 2022

थानाधिकारी, पुलिस थाना, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

विनोद कुमार पुत्र श्योचन्द, जाति जाट, उम्र 48 साल, निवासी किठाना, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रकरण सं0 444 / 2020 धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधि0 थाना चिडावा मे जप्त पेट्रोल के निस्तारण के आदेश लेने बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.05.2022

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 24.11.2020 को वापसी थाना पर एक फर्द जप्ती इस आशय की कि आज दिनांक 24.11.2020 को मन अरूण कुमार आरपीएस प्रो0 थानाधिकारी थाना चिडावा मय राजेश एचसी 2532 मय जीप सरकारी चालक 530 थाना चिडावा मय गिरफ्तारशुदा आरोपी संजीव व जप्तशुदा माल के बाद कार्यवाही 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम समय 4.25 पीएम पर रवाना होकर समय 4.30 पीएम पर मौजा किठाना मै0 धनखड़ ट्रेडिग कंपनी दुकान के बाहर पहुंचा तो एक शख्स दुकान के बाहर एक जरीकन रखकर बैठा था जिसको मन थानाधिकारी मय जाप्ता ने इशारा कर सरकारी वाहन के पास बुलाकर जरीकन में क्या रखा है बाबत पूछा तो वह शख्स बुरी तरह से घबरा गया और सकपकाते हुये हाथ जोडकर बताया कि साहब इसमें पेट्रोल भरा हुआ है जिस पर मन थानाधिकारी मय जाप्ता ने सरकारी वाहन से नीचे उतरकर शख्स को जरीकन के पास जाकर जरीकन को चौक किया गया तो जरीकन बरंग नीला है जिस पर स्पष्टत कुछ लिखा हुआ नही दिख रहा है जरीकन के पास एक प्लास्टिक कीप पडा हुआ है जरीकन को खोलकर चैक किया गया तो उसमें तकरीबन 27 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। शख्स को मन थानाधिकारी ने नाम पता पूछा तो अपना नाम विनोद कुमार पुत्र श्री श्योचंद जाति जाट उम्र 48 साल निवासी किठाना होना बताया [illegible] ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल कब्जे में रखने बेचने बाबत लाईसेंस या अनुज्ञा प[illegible]छा तो बताया की मेरे पास पेट्रोल भण्डारण या बिक्री बाबत कोई अनुज्ञा [illegible] पेट्रोल सस्ते दामों मे लाकर उचें दामों मे बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। श[illegible] के पेट्रोल [illegible] का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 [illegible] पाया जाने पर [illegible] से एक प्लास्टिक की बोतल 1 लीटर पेट्रोल बतौर वजह सैम्पल लिया जाकर मार्क ए अं[illegible] किया गया व शेष बचे पेट्रोल को उसी जरीकन में शील्ड मोहर कर मार्क ए 1 अंकित किया गया। आदि–आदि पर अ0स0 444 / 20 जुर्म धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में कायम कर तफतीश श्री महेश कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

उनि0 थाना चिड़ावा के जिम्मे की गई दौराने तफतीश घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका एवं हालात मौका कसीद किया गया बयान गवाहान 161 दप्रस में लेखबद्ध किये। बाद तफतीश मुलजिम को पेश कोर्ट किया गया तो हांसला तफतीश एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम विनोद कुमार पुत्र श्री श्योचंद जाति जाट उम्र 48 साल निवासी किठाना के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः जप्त पेट्रोल के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से एक जरीकन मे 27 लीटर पेट्रोल व एक कीप जप्त किया गया है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स पेट्रोल के विक्रय बाबत नही था। उक्त पेट्रोल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा एक जरीकन, 27 लीटर पेट्रोल व एक कीप के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि उसने अनजाने मे व नियमों की जानकारी के अभाव मे डीजल विक्रय का अवैध कृत्य किया है। अप्रार्थी फिर कभी ऐसा कृत्य नही करेगा। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने बहस के दौरान स्वीकार किया है कि उसने अनजाने मे व नियमों की जानकारी के अभाव मे डीजल विक्रय का अवैध कृत्य किया है। साथ ही प्रकरण मे पेट्रोल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस पेट्रोल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये एक जरीकन, 27 लीटर पेट्रोल व एक कीप को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा दो ड्रम क्रमशः एक जरीकन, 27 लीटर पेट्रोल व एक कीप का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, चिडावा को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मण सिह कुड़ी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं